न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पिठासीन अधिकारी–श्री श्योराम वर्मा आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 28/2014

स्व. बंशीदास पुत्र स्व. केशरदास जाति कामड़ निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
1/1 शिवलालदास पुत्र बंशीदास जाति कामड़ निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
1/2 ईसरदास पुत्र बंशीदास जाति कामड़ निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
1/3 लालदास पुत्र बंशीदास जाति कामड़ निवासी ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
1/4 मीरा पत्नी सोहनदास पुत्री बंशीदास जाति कामड़ निवासी ग्राम बीदासर हाल निवासी मिथ्यान तहसील परबतसर जिला नागौर
1/5 कमला पत्नी हडमानदास पुत्री बंशीदास जाति कामड़ निवासी ग्राम बीदासर हाल निवासी नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर
1/6 राजूदेवी पत्नी पूनमदास पुत्री बंशीदास जाति कामड़ निवासी ग्राम बीदासर हाल निवासी लूणा तहसील फलोदी जिला जोधपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मांगीदेवी पत्नी गणाराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 25 कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
2. श्रीमती सोनीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 25 कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
3. श्रीमती रूकमादेवी पत्नी चैनाराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 25 कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
4. श्रीमती डावली पुत्री केशरराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू।
5. खींयाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 24 अम्बेडकर बस्ती क़स्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
6. सूण्डाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 24 अम्बेडकर बस्ती कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
7. श्रीमती झुमा पत्नी आदूराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 24 अम्बेडकर बस्ती कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
8. गीता पुत्री आदूराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम डूंगरास आथुणा तहसील बीदासर जिला चूरू।
9. श्रीमती भंवरी पत्नी मोटाराम जाति मेघवाल निवासी बीदासर हाल निवासीनी ढिगारिया रोही तहसील बीदासर जिला चूरू।
10. ओमप्रकाश पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासी बीदासर हाल निवासीनी ढिगारिया रोही तहसील बीदासर जिला चूरू।
11. लालूराम पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 24 अम्बेडकर बस्ती कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
12. बुधाराम पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 24 अम्बेडकर बस्ती कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
13. झींनकूदेवी पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 25 कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
14. श्रीमती खेतु पत्नी गोपालाराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 25 कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
15. श्रीमती विमला पत्नी बिजूराम जाति मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 25 कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
16. श्रीमती लिछमा पत्नी हनुमानाराम जातिं मेघवाल निवासीनी वार्ड नं. 25 कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
17. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू ।

...........अप्रार्थीगण

लगातार........2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

18. मोटदास पुत्र केशरदास जाति कामड़ निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
19. नारायणदास पुत्र केशरदास जाति कामड़ निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
20. भंवरदास पुत्र नेमदास जाति कामड़ निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
21. रूपा पत्नी भैरादास जाति कामड़ निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
22. हडमानदास पुत्र भैरादास जाति कामड़ निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।
23. रामदास पुत्र भैरादास जाति कामड़ निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू।

..........गौण अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम पत्थर गढ़ी कायम करवाने बाबत

उपस्थिति– 1. श्री रामसिंह राठौड एडवोकेट व अमरसिह राठौड़ एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. मोहम्मद शाहिद एडवोकेट अप्रार्थी सं. 12 की ओर से
3. राजपेरोकार अप्रार्थी सं. 17 की ओर से
4. अप्रार्थीगण सं. 01 ता 11 व 13 ता 16 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

निर्णय दिनांक 26-07-22

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा सं. 1508 व 1513 व 1520 तादादी क्रमशः 22 बीघा 02 बिश्वा, 25 बीघा 04 बिश्वा, व 02 बीघा वाके रोही बीदासर तहसील बीदासर मे भूमि चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण का खेत खसरा नं. 1514 प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1513 के चिपता ही है प्रार्थी का खेत उतरी तरफ सींवा जोड़ है। अप्रार्थीगणो ने अपने खेत खसरा नं. 1514 की उतरी सींव को काटकर धीरे धीरे प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 1513 की भूमि पर करीब 11 गंठा चौड़ाई तथा 156 गंठा लम्बाई तक अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया जिस पर प्रार्थीगण के पिता ने सीमा के विवाद के कारण तहसीलदार साहब बीदासर के समक्ष शुल्क जमा करवाकर खेत खसरा सं. 1513 व खसरा सं. 1520 का सीमाज्ञान करवाया जिस पर हल्का पटवारी ने अपनी रिर्पोट दिनांक 24/04/2014 को श्रीमान तहसीलदार साहब बीदासर को प्रस्तुत कर दी थी मुताबिक रिर्पोट प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को खसरा नं. 1513 व 1514 के बीच की सीमा पर सीमा कायम की पत्थर गढ़ी करवा लेने के लिए दिनांक 05/05/2014 को निवेदन किया तो अप्रार्थीगण सं. 01 ता 16 ने इंकार कर दिया तथा अप्रार्थी सं. 17 को भी प्रार्थीगण के पिता ने मुताबिक हल्का पटवारी रिर्पोट के पत्थरगढ़ी करवा देने के लिए निवेदन किया तो उन्होने पत्थरगढ़ी का आदेश उपखण्डअधिकारी महोदय से ही करवाने पर ही पत्थर गढ़ी करवा सकते है अन्यथा नही कर सकते प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1513 की भूमि पर किये गेय अतिक्रमण को हटाने से इंकार कर दिया प्रार्थीगण अपने खेत खसरा सं. 1513 व 1520 वाके रोही बीदासर की भूमि के सीमा विवाद को खत्म करवाने के लिए सीमा चिन्हित करवाकर पत्थर गढ़ी कायम करवा कर विवाद को समाप्त करना चाहते है सीमा पर पत्थर गढ़ी का जो भी सरकारी शुल्क होगा वोह राजकोष मे जमा करवाने के लिए तैयार है प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान प्रार्थी बंशीदास का स्वर्गवास दिनांक 10/03/2015 को हो जाने पर उसके जायज वारिसान प्रार्थीगण सं. 1/1 ता 1/6 को प्रार्थना पत्र मे पक्षकार संयोजित किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं. 12 बुधाराम की ओर से मोहम्मद शाहिद एडवोकेट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया शेष अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

अप्रार्थी सं. 12 बुधाराम की औैर से प्रस्तुत जबाब तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पैरा सं. 01 मे वर्णित तथ्य अप्रार्थी ने स्वीकार किया हे तथा अप्रार्थीगण का खेत खसरा नं. 1514 प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1513 के चिपता सींवा जोड होना स्वीकार किया है। प्रार्थी के खेत खसरा सं. 1508 रकबा 22 बीघा 02 बिश्वा व खसरा नं. 1513 रकबा 25 बीघा 04 बिश्वा व खसरा सं. 1520 रकबा 02 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 49 बीघा 06 बिश्वा की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका विधीवत विभाजन होकर प्रार्थी की अलग सींव नींव कायम नही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1514 व खसरा नं. 1513 की उतरीसींव को

लगातार..........3

उपखण्ड अधिकारी

काटकर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1513 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है ओर नाही सींव को काटा गया है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई सींमा का विवाद नही है प्रार्थी बंशीदास राजनैतिक व कानूनी जानकारी रखने के कारण व मौहल्ले के बुजुर्ग मौजिज व्यक्ति होने के नाते व खेतो की सीमा सम्बन्धि जानकारी होने के नाते इन खेतो को सीमा ज्ञान करवाया गया है। प्रार्थी ने सीमा विवाद खत्म करवाने के लिए सीमा चिन्हित करवाकर विवाद समाप्त करने का कथन व्यक्तिगत द्ववेश भावना के कारण किया गया है तथा सीमा ज्ञान रिर्पोट दिनांक 24/04/2014 के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उक्त सीमाज्ञान रिर्पोट के साथ संलग्न नक्शा मे स्पष्ट दर्शित है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1520 की सीमा ज्यादा पाई गई हे तथा खेत खसरा नं. 1513 की उतरी सीमा खातेदार ने खुर्द बुर्द कर दी है और सडक कटानी रास्ता पर नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया की अप्रार्थीगण का खेत खसरा सं. 1514 प्रार्थी के खेत खसरा सं. 1513 के चिपता है अप्रार्थीगण ने खेत खसरा नं. 1514 की उतरी सींव को काटकर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1513 की भूमि पर करीब 11 गंठा चौड़ाई तथा 156 गंठा लम्बाई तक अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है जो हल्का पटवारी द्वारा किये सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 24/04/2014 से साबित है प्रार्थीगण की भूमि को अप्रार्थीगण ने नाजायज. रूप से दबाकर अतिक्रमण कर कब्जा किया है जो विधिविरूद्व है प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नं. 1513 व खेत खसरा नं. 1520 वाके रोही बीदासर की भूमि की सीमा चिन्हित पत्थरगढ़ी से करवाने के अधिकारी है तथा प्रार्थीगण सीमा चिन्हित पत्थरगढ़ी मे लगने वाले नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने को तैयार है अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जबाब मे अंकित तथ्यो कौ दोहराते हुए कथन किया की सीमा ज्ञान रिर्पोट दिनाक 24/04/2014 सही नही है तथा प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी का आदेश न्यायालय से नही करवा सकते है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिविरूद्व होने के कारण खारिज योग्य है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक सुक्ष्मता से अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत सीमा ज्ञान रिर्पोट दिनांक 24/04/2014 का अवलोकन किया उक्त रिर्पोट से यह साबित है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि को नांजायज रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है तथा अप्रार्थी सं. 12 ने जबाब मे स्वीकार किया है कि अप्रार्थीगण का खेत खसरा नं. 1514 प्रार्थीगण को खेत खसरा नं. 1513 चिपता सींवा जोड़ है तथा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण कानूनी दृष्टि से अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नं. 1513 व 1520 वाके रोही बीदासर की भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह पत्थर गढी से करवाने के अधिकारी है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 17 को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1513 व 1520 वाके रोही बीदासर तहसील बीदासर की भूमि की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड पैमाईस कर जहां पर सीमा कायम होती है उसे कायम किया जावे तथा प्रार्थीगण की भूमि जो अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण कर दबा रखी है उसे मुक्त करवाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1513 व 1520 मे की भूमि के सीमा चिन्ह कायम कर चिन्हित पत्थरगढ़ी से चिन्हित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा पत्थर गढ़ी सीमा चिन्हित मे लगने वाले नियमानुसार राजस्व शुल्क प्रार्थीगण से जमा करवाई जाकर एक माह के भितर भितर पालना रिर्पोट न्यायालय मे भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 26/7/22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner